

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 15.02.2025

गो-तस्करी करने वाले गिरोह के 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खोराबार द्वारा गैंग लीडर इरफान अहमद पुत्र सैमुल्लाह निवासी 98 मिया सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल गैंग के सदस्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर इरफान अहमद उपरोक्त अपने अपने गिरोह के सदस्य शाहरूख पुत्र आदिल निवासी बल्ला की पुलिया थाना नखास जनपद सम्भल के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर गो-तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं गो तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर इरफान अहमद व गैंग के अन्य 01 सदस्य के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 100/2025 धारा 2(ख)(xi),2(ख)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

अपराध का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर गो-तस्करी व पशुकुरता का अपराध कारित किया जाता है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 71/24 धारा 3/5क/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 100/2025 धारा 2(ख)(xi),2(ख)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

अभियुक्तगण का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. इरफान अहमद पुत्र सैमुल्लाह निवासी 98 मिया सराय थाना संभल जनपद सम्भल (गैंग लीडर)

- i. मु0अ0सं0 71/24 धारा 3/5क/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 09/15 धारा 279,304क,337,338 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- iii. मु0अ0सं0 304/17 धारा 3/5क/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना सैय्यदराजा जनपद चन्दौली
- iv. मु0अ0सं0 595/16 धारा 279,304क,337,338 भादवि थाना सम्भल जनपद सम्भल
- v. मु0अ0सं0 33/18 धारा 3/5क/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना सम्भल जनपद सम्भल
- vi. मु0अ0सं0 359/18 धारा 279,304क,337,338,427 भादवि थाना सम्भल जनपद सम्भल
- vii. मु0अ0सं0 94/20 धारा 279,337,338 भादवि थाना सम्भल जनपद सम्भल
- viii. मु0अ0सं0 499/18 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सम्भल जनपद सम्भल
- ix. मु0अ0सं0 604/20 धारा 279,304(क) भादवि थाना नखासा जनपद सम्भल
- x. मु0अ0सं0 230/18 धारा 279,304क,337,338,427 भादवि थाना सम्भल सम्भल जनपद सम्भल
- xi. मु0अ0सं0 462/15 धारा 120बी,420,467,468 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशुकुरता अधि0 थाना सियाना जनपद बुलन्दशहर
- xii. मु0अ0सं0 320/14 धारा 279,337,338,427 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

2. शाहरूख पुत्र आदिल निवासी बल्ला की पुलिया थाना नखास जनपद सम्भल (गैंग सदस्य)

- i. मु0अ0सं0 71/24 धारा 3/5क/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 290/22 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 थाना माखी जनपद उन्नाव
- iii. मु0अ0सं0 305/19 धारा 3/5क/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 व 307 भादवि थाना मलाव जनपद फतेहपुर